जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 26-05-2021

आज दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामबचन पुत्र लंगड निवासी नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 248 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, हे0का0 रामप्रीत।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10-10 लीटर (कुल 20 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- शत्रुघ्न पुत्र सन्तराम निवासी भेड़ौरा पिकौरा 2- राममिलन पुत्र हीरालाल निवासी महला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 86 / 2021 व 87/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, हे0का0 राजेश चौरसिया, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, का0 राजाराम गुप्ता, का0 पुनीत पाठक ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2547 द्वारा दो पक्षों में हो रहे जमीनी विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 2547 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 3657 से कालर ने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 10 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ –आ0 हरिकेश गुप्ता, हो0चा0 रामप्रकाश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 161 वाहनो से 130500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.05.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 161 वाहनो से 130500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।